बर्मा आइल कंपनी [आइल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आइल कंपनी लिमिटेड और बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 41)

[28 सितम्बर, 1981]

लोकहित में "बर्मा आइल कंपनी लिमिटेड" द्वारा धारित आइल इंडिया लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और भारत में असम आइल कंपनी लिमिटेड और "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के उपक्रमों के संबंध में उनके अधिकार, हक और हित के अर्जन और अंतरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और गैस तथा असम आइल कंपनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल, गैस और पैट्रोलियम उत्पादों तथा उक्त उपक्रमों और "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पैट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

"बर्मा आइल कंपनी लिमिटेड" का (जो एक विदेशी कंपनी है) इस समय, भारत में उत्पादित, विपणित और वितरित कच्चे तेल, गैस और पैट्रोलियम उत्पादों के अधिकांश भाग पर स्वामित्व और नियंत्रण इस कारण से है कि आइल इंडिया लिमिटेड, जिस में इसके पचास प्रतिशत शेयर हैं और इसकी एक समनुषंगियों में से एक अर्थात् असम आइल कंपनी लिमिटेड, कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन तथा पैट्रोलियम उत्पादों का कारबार कर रही है तथा उक्त असम आइल कंपनी लिमिटेड भी भारत में अपने उपक्रमों द्वारा और "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के, जो "बर्मा आइल कंपनी लिमिटेड" की एक अन्य समनुषंगी है, भारत में उपक्रमों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के विपणन और वितरण का कारबार कर रही है ;

और लोकहित में यह समीचीन है कि "बर्मा आइल कंपनी लिमिटेड" द्वारा धारित उक्त आइल इंडिया लिमिटेड के शेयरों और उक्त असम आइल कंपनी लिमिटेड और "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए ;

और ऐसा अर्जन संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के सिद्धान्त को सुनिश्चित करने के लिए है क्योंकि समुदाय के भौतिक संसाधनों का, अर्थात् उक्त आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा और असम आइल कंपनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों द्वारा उत्पादित तथा उक्त असम आइल कंपनी लिमिटेड और "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित, कच्चे तेल, गैस और पैट्रोलियम उत्पाद का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसे अर्जन के कारण राज्य में निहित हो जाएगा और उसके द्वारा उनका इस प्रकार वितरण किया जाएगा जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बर्मा आइल कंपनी [आइल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आइल कंपनी लिमिटेड और बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1981 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ख) "बर्मा आइल कंपनी" से "बर्मा आइल कंपनी लिमिटेड" अभिप्रेत है जो स्काटलैंड में निगमित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 49, सेंट विसेंट, ग्लासगो, स्काटलैंड में है ;

(ग) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 817 में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "आइल इंडिया" से आइल इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय डिब्रुगढ़ जिले में दुलियाजान में है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से खंड (ज) में विनिर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ;

(ज) "दोनों कंपनियां" से अभिप्रेत है,—

(i) "असम आइल कंपनी लिमिटेड" जो यूनाइटेड किंगडम में निगमित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बर्मा हाउस, पाइपर्स वे, स्विडन, इंगलैंड में है ; और

(ii) "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" जो स्काटलैंड में निगमित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 48, सेंट विंसेंट स्ट्रीट, ग्लासगो, स्काटलैंड में है,

जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 591 के अर्थ में विदेशी कंपनियां हैं ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है ।

अध्याय 2

बर्मा आइल कंपनी द्वारा धारित आइल इंडिया के शेयरों का अर्जन

3. आइल इंडिया के कुछ शेयरों का केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उसमें निहित होना—(1) नियत दिन से बर्मा आइल कंपनी द्वारा धारित आइल इंडिया की पूंजी में सभी शेयर इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) सभी शेयर, जो उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, इस प्रकार निहित होने के बल पर ऐसे सभी न्यासों, दायित्वों, बाध्याताओं, बंधकों, प्रभारों, धारणाधिकारों और अन्य विल्लंगमों से, जो उन्हें प्रभारित करते हैं, मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगे ।

(3) ऐसे शेयरों पर जो उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, आइल इंडिया द्वारा संदेय कोई लाभांश, 1 जनवरी, 1977 से आरंभ होने वाली किसी अवधि के संबंध में केन्द्रीय सरकार को संदेय होगा ।

4. आइल इंडिया का प्रबंध—(1) आइल इंडिया को सरकारी कंपनी के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस कंपनी के ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में ऐसे संशोधन और ऐसे अन्य उपबंध कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) आइल इंडिया के ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में उपधारा (1) के अधीन किए गए कोई संशोधन और किए गए कोई अन्य उपबंध, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

अध्याय 3

दोनों कंपनियों के उपक्रमों का अर्जन

5. दोनों कंपनियों के भारत में उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को दोनों कंपनियों में से प्रत्येक का भारत में उनके उपक्रमों के संबंध में अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

6. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह समझा जाएगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी के उपक्रमों के अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा जंगम और स्थावर सभी संपत्ति जिसके अन्तर्गत कोई डिजाइन, व्यापार चिह्न, व्यापार नाम, लेबल की स्टाइल, स्टेशन सजावट या कोई सुभिन्न रंग स्कीमें भी हैं, रोकड़ बाकी, आरक्षित निधियां, बही ऋण, विनिधान और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य समस्त अधिकार और हित, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में उसके स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे तथा उनसे संबंधित सभी लेखा बहियां, रजिस्टर, अभिलेख और किसी भी प्रकार की सब अन्य दस्तावेजें होंगी और यह भी समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में किसी भी प्रकार के सब उधार, दायित्व (जिनके अन्तर्गत भारत में उसके उपक्रमों के संबंध में नियोजित व्यक्तियों के करों के, यदि कोई हों, संदाय और किसी पेंशन या अन्य पेंशनिक फायदों के संदाय की जिम्मेदारी भी है) और बाध्यताएं भी होंगी :

परन्तु भारत के बाहर पेंशन या अन्य पेंशनिक फायदों के संदाय के लिए किसी धन का प्रेषण, ऐसे प्रेषणों के संबंध में उस समय प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अधीन होगा ।

(2) "बर्मा आइल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों के अन्तर्गत वे शेयर नहीं आएंगे जो उक्त कंपनी द्वारा टिनप्लेट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड में धृत हैं, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 4, बैंकशैल स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 में है ।

(3) प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में 1 जनवरी, 1977 से, यथास्थिति, उपार्जित लाभ या उठाई गई हानियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार को देय होंगे या उसके द्वारा वहन किए जा सकेंगे ।

(4) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाता है तब तक किसी विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में सभी विलेख, बंधपत्र, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकारपत्र और किसी भी प्रकार की अन्य लिखतें, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी हैं, और जिनकी विनिर्दिष्ट कंपनी एक पक्षकार है या जो विनिर्दिष्ट कंपनी के पक्ष में हैं, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या उसके पक्ष में वैसे ही पूर्ण रूप से प्रवृत्त और प्रभावी होंगी और वैसे ही पूर्व रूप से और प्रभावी तौर पर प्रवृत्त की जा सकेंगी या क्रियान्वित की जा सकेंगी मानो विनिर्दिष्ट कंपनी के स्थान पर केन्द्रीय सरकार पक्षकार रही हो या मानो वे केन्द्रीय सरकार के पक्ष में जारी हुई हों ।

(5) यदि नियत दिन को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं, कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियां आती हैं) उस विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित है तो उस विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के अंतरण अथवा इस अधिनियम में किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या किसी भी प्रकार उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

(6) संप्रवर्तन करार और अनुपूरक करार, जो क्रमशः 14 जनवरी, 1958 और 16 फरवरी, 1959 को किए गए थे और जिनके पक्षकार केन्द्रीय सरकार, बर्मा आइल कंपनी और असम आइल कंपनी लिमिटेड थे तथा अंगीकरण करार और द्वितीय अनुपूरक करार जो क्रमशः 14 मार्च, 1959 और 27 जुलाई, 1961 को किए गए थे और जिनके पक्षकार केन्द्रीय सरकार, बर्मा आइल कंपनी, असम आइल कंपनी लिमिटेड और आइल इंडिया लिमिटेड थे, 1 जनवरी, 1977 से पर्यवसित कर दिए गए समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे करारों से उत्पन्न होने वाले अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं उसी तारीख से निर्वासित हो गई समझी जाएंगी :

परन्तु उक्त द्वितीय अनुपूरक करार का खण्ड 12, जहां तक वह आइल इंडिया लिमिटेड के अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं से संबंधित है, 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले उस कंपनी के वित्तीय वर्ष तक, जिसमें उस कंपनी का वित्तीय वर्ष भी सम्मिलित है, प्रवृत्त बना रहेगा ।

7. नियत दिन से पहले विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा धारित कुछ अधिकारों और हितों के बारे में विशेष उपबन्ध—(1) नियत दिन से ठीक पूर्व किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में धारित किसी सम्पत्ति के बारे में प्रत्येक अधिकार या हित (जिसके अंतर्गत किसी पट्टे के अधीन या अभिधृति के किसी अधिकार के अधीन कोई अधिकार या किसी प्रयोजन के लिए किसी ठहराव के अधीन किसी परिसर को प्राप्त करने का अधिकार भी है), उस अधिकार या हित के संबंध में किसी अन्य विधि या किसी करार या लिखत में किसी बात के होते हुए भी, उसी दिन को और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जिन पर वे विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा धारित होते यदि, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जन किए जाने के लिए कोई बातचीत नहीं की गई होती या यह अधिनियम पारित न हुआ होता, केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे और उसके द्वारा धारित होंगे ।

(2) यदि 2 फरवरी, 1974 (वह तारीख जिसको केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, विपणन या वितरण में लगे हुए उपक्रमों का अर्जन करने की अपनी नीति प्रकट की थी) के पश्चात् और नियत दिन के पूर्व विनिर्दिष्ट कम्पनी ने भारत में किसी सम्पत्ति के बारे में कोई अधिकार या हित का (जिसके अन्तर्गत किसी पट्टे के अधीन अधिकार या अभिधृति के किसी अधिकार के अधीन अधिकार या किसी प्रयोजन के लिए किसी ठहराव के अधीन किसी परिसर को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकार भी है) अभ्यर्पण या अन्यथा त्याग किया है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि अथवा ऐसे अधिकार या हित से संबंधित किसी करार या लिखत में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार नियत दिन को और उसके पश्चात् ऐसे अधिकार या हित के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर हकदार होगी जिन पर विनिर्दिष्ट कंपनी ऐसे अधिकार या हित के लिए हकदार होती यदि विनिर्दिष्ट कंपनी ने ऐसे अधिकार या हित का अभ्यर्पण या अन्यथा त्याग न किया होता और यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे अधिकार या हित को लागू नहीं होगी जिसका नियत दिन के पूर्व, धन के रूप में पर्याप्त प्रतिफल के लिए विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा अभ्यर्पण या अन्यथा त्याग किया गया था ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी पट्टे, अभिधृति या ठहराव की अवधि की समाप्ति पर, यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो, ऐसा पट्टा या अभिधृति या ठहराव, जहां तक हो सके, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जिन पर वह पट्टा या अभिधृति या ठहराव मूल रूप से किया गया था या मंजूर किया गया था, नवीकृत या चालू रखा जाएगा ।

8. शंकाओं का दूर किया जाना—(1) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध, वहां तक लागू होंगे जहां तक कोई संपत्ति विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में किए जाने वाले कारबार से संबंधित है और विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में अर्जित अधिकारों और शक्तियों तथा उपगत ऋणों, दायित्वों और बाध्यताओं को तथा की गई संविदाओं, करारों और अन्य लिखतों को तथा भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित मामलों के बारे में कार्यवाहियों को, लागू होंगे ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई सम्पत्ति नियत दिन से ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी कारबार से संबंधित थी या नहीं, अथवा भारत में अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा कोई अधिकार, शक्तियां, ऋण, दायित्व या बाध्यताएं अर्जित अथवा उपगत की गई थीं या नहीं, अथवा कोई संविदा, करार या अन्य लिखत की गई थी या नहीं, अथवा कोई दस्तावेज उन प्रयोजनों से संबंधित है या नहीं, अथवा धारा 7 के उपबन्ध किसी सम्पत्ति के बारे में लागू होते हैं या नहीं, तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जो मामले में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसी रीति से विनिश्चित करेगी जो वह ठीक समझे ।

9. विनिर्दिष्ट कंपनियों के उपक्रमों को एक या अधिक सरकारी कंपनियों में निहित होने के लिए निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 5, धारा 6 और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों के, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझती है, अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के, जो उस सरकार में धारा 5 के अधीन निहित हो गए हैं, संबंध में उसका अधिकार, हक और हित तथा दायित्व, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को, या उससे पहले या पश्चात् की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख नहीं है), जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक या अधिक सरकारी कम्पनियों में निहित हो जाएंगे ।

(2) जब विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में अधिकार, हक और हित और दायित्व उपधारा (1) के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनियों में निहित हो जाते हैं, तब ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही सरकारी कंपनी या कंपनियों के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

(3) धारा 5, धारा 6, और धारा 7 के उपबन्ध, जहां तक हो सके ऐसी सरकारी कंपनी या कंपनियों के संबंध में लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय सरकार के संबंध में लागू होते हैं तथा उसमें "केन्द्रीय सरकार" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस सरकारी कंपनी या कंपनियों के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 4

रकम का संदाय

10. बर्मा आइल कंपनी को रकम का संदाय—(1) धारा 3 के अधीन आइल इंडिया के शेयरों को केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने के लिए और धारा 5 के अधीन प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बर्मा आइल कंपनी को कुल मिलाकर इक्कीस करोड़ छप्पन लाख रुपए की कर-मुक्त रकम दी जाएगी तथा उस कंपनी को ऐसी रकम पौण्ड/स्टर्लिंग में एक किस्त में प्रेषित करने दी जाएगी, जिसकी संगणना ऐसे प्रेषण की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दर से की जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय 15 अक्तूबर, 1981 को या उसके पूर्व नहीं किया गया हो वहां ऐसी रकम पर, उस तारीख से ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक, आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कर-मुक्त साधारण ब्याज लगेगा ।

अध्याय 5

कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

11. विनिर्दिष्ट कंपनियों के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण—(1) विनिर्दिष्ट कंपनी का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन से ठीक पूर्व उस विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में उसके उपक्रमों के संबंध में नियोजित था और विनिर्दिष्ट कंपनी का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन से ठीक पूर्व भारत से बाहर अस्थायी रूप से कोई कार्यभार धारण किए हुए था, नियत दिन को, केन्द्रीय सरकार या संबद्ध सरकारी कंपनी का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी कहा गया है), जिसमें विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के अधीन निहित हो गए हैं, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के अधीन, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे तब अनुज्ञेय होते जब ऐसा निधान न हुआ होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी द्वारा, सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(2) धारा 22 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, आइल इंडिया का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन से ठीक पूर्व भारत में उसके द्वारा नियोजित था और आइल इंडिया का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन से ठीक पूर्व भारत से बाहर अस्थायी रूप से कोई कार्यभार धारण किए हुए था, उस दिन से ही आइल

इंडिया का, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों के साथ जो उस दिन से ठीक पहले उसको अनुज्ञेय होते, अधिकारी या अन्य कर्मचारी बना रहेगा और ऐसे पद को धारण किए रहेगा जब तक कि आइल इंडिया के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या उस कंपनी द्वारा उसका पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(3) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि नियत दिन से ठीक पूर्व कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट कंपनी का पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी था या नहीं अथवा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस कंपनी के भारत में उपक्रमों के संबंध में पूर्णतः या मुख्यतः नियोजित था या नहीं अथवा विनिर्दिष्ट कंपनी का कोई पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी भारत से बाहर अस्थायी रूप से कोई कार्यभार धारण किए हुए था या नहीं, तो यह प्रश्न नियत दिन से दो वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जो मामले से संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसी रीति से विनिश्चित करेगी जो वह ठीक समझे और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का अन्तरण, किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उन अधिनियमों या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर या उपदान का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

12. भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण निधि, आदि—(1) जहां किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के फायदे के लिए जो आइल इंडिया द्वारा नियोजित हैं, कोई भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की गई है, वहां ऐसी भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण या अन्य निधि के खाते में उस दिन जमा धनराशियों में से वे धनराशियां जो—

(क) उन कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार को या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी को अंतरित की गई हैं, या आइल इंडिया द्वारा जारी रखी गई हैं, संबंधित हैं ; या

(ख) उन कर्मचारियों से, जिनको नियत दिन से ठीक पूर्व पेंशन या अन्य पेंशनिक फायदे प्राप्त हो रहे थे, संबंधित हैं,

यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या आइल इंडिया को, किसी ऐसे न्यास से, जो विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उसके संबंध में बनाया गया हो, अन्तरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या आइल इंडिया को अन्तरित हो जाती हैं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस कंपनी या आइल इंडिया द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) यथास्थिति, उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या आइल इंडिया नियत दिन के पश्चात् यथाशीघ्र, उन धनराशियों और अन्य आस्तियों के सम्बन्ध में, जो इस धारा के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की जाती हैं, एक या अधिक न्यास बनाएगी, जिनका उद्देश्य विद्यमान न्यासों के उद्देश्यों के इतना समीप होगा जितना परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक हो, किन्तु ऐसा नहीं होगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों पर किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़े या वे कम हो जाएं ।

(4) जहां किसी विद्यमान न्यास की समस्त धनराशियां और अन्य आस्तियां इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या आइल इंडिया को अंतरित और उसमें निहित की जाती हैं वहां ऐसे न्यास के न्यासी, इस प्रकार निहित होने की तारीख से पहले की गई या न की गई बातों के सिवाय, ऐसे निहित किए जाने की तारीख से न्यास से उन्मोचित हो जाएंगे ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

13. अधिनियम का अन्य विधियों पर प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अथवा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

14. सम्पत्तियों आदि का कब्जा देने का कर्तव्य—(1) जहां विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी उपक्रम से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी को अन्तरित कर दी गई है और वह उसमें निहित कर दी गई है वहां—

(क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी कोई संपत्ति है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी द्वारा मांग की जाने पर उस संपत्ति को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी को तुरन्त दे देगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में उपक्रमों से संबंधित कोई बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागज-पत्र इस प्रकार निहित किए जाने के ठीक पूर्व हैं, उन बहियों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों

का लेखा-जोखा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार को या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी को देने के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें केन्द्रीय सरकार को या उस कंपनी को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे केन्द्रीय सरकार या वह कंपनी उस निमित्त प्राधिकृत करे, दे देगा ।

(2) इस धारा के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस समस्त, संपत्ति का कब्जा लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जो इस अधिनियम के अधीन उसको अन्तरित और उसमें निहित हो गई हैं ।

15. संविदाओं का तब तक जारी रहना जब तक कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा समाप्त न कर दी जाएं—(1) यदि भारत में किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की गई और नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, जो धारा 6 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट करार से भिन्न है, नियत दिन से दो वर्ष के भीतर उपधारा (2) के अधीन समाप्त नहीं कर दी जाती है, तो वह, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के विरुद्ध या पक्ष में पूर्ण रूप से प्रवृत्त और प्रभावी बनी रहेगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भाव से की गई है या, यथास्थिति, उस सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कम्पनी के हितों के लिए हानिकर है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी संविदा को या तो समाप्त कर सकेगी या उसमें ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी संविदा को तब तक समाप्त नहीं करेगी या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतर नहीं करेगी जब तक उसने संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो और, यथास्थिति, इस प्रकार समाप्त, परिवर्तित या उपान्तरित करने के अपने कारणों को लेखबद्ध न कर दिया हो ।

16. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखते हुए, उस संपत्ति को केन्द्रीय सरकार से या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी से सदोष विधारित रखेगा ; या

(ख) विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या अपने पास रखे रहेगा ; या

(ग) विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी उपक्रम से संबंधित किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, जानबूझकर विधारित रखेगा या केन्द्रीय सरकार को अथवा उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी को या केन्द्रीय सरकार अथवा उस कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देने में असफल रहेगा ; या

(घ) विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी उपक्रम से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार को या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी को देने में असफल रहेगा ; या

(ङ) विनिर्दिष्ट कंपनी के भारत में किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

17. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के अथवा उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

19. अपराधों का संज्ञान—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार, अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा ।

20. क्षतिपूर्ति—केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अधिकारी और उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी की, इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में उसको हुई सभी हानियों और व्ययों की बाबत, जो उसके जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम से न हुए हों, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

21. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उसे दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

22. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———